



A.F.R.

दिनांक 26.11.2025 को आरक्षित,
दिनांक 29.01.2026 को सुनाया गया,
दिनांक 29.01.2026 को अपलोड किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन, बीएनएसएस संख्या 32121/2025

जितेंद्र कुमार और 2 अन्य

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी

पक्ष।

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: त्रिपुरारी पाल

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता, संजय मिश्रा,

न्यायालय संख्या - 78

माननीय अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी पाल, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री एस.के. राय को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।
2. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन तीन अभियुक्तों द्वारा दायर किया गया है। मुख्य आरोप आवेदक संख्या 1 पर विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का है। आवेदक संख्या 2, आवेदक संख्या 1 का भाई है और आवेदक संख्या 3, आवेदक संख्या 2 की पत्नी और आवेदक संख्या 1 की भाभी है। आवेदक संख्या 2 और 3 पर आपराधिक धमकी के अपराध के लिए आरोपपत्र दायर किया गया है। मांगी गई राहत यह है कि अलीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 द्वारा दिनांक 30.03.2025 के आरोपपत्र के संज्ञान में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025, आपराधिक मामला संख्या 419/2025 (राज्य बनाम जितेंद्र कुमार और अन्य) जोकि बीएनएस की धारा 69 और 351(2) गांधी पार्क पुलिस स्टेशन, जिला अलीगढ़ में दर्ज के तहत मामला संख्या 55/2025 से संबंधित है, की पूरी कार्यवाही को रद्द किया जाए।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक संख्या 1 और पीड़िता के बीच स्नातक स्तर की पढ़ाई के समय से ही प्रेम और स्नेह का संबंध था जो विवाह में परिणत नहीं हो सका, यद्यपि आरोपी आवेदक संख्या 1 और पीड़िता दोनों वयस्क थे और उन्होंने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। आरोपी आवेदक ने पीड़िता के साथ संबंध बनाए रखने के लिए अपनी पहचान नहीं छिपाई। आरोपी आवेदक और पीड़िता साथ-साथ पढ़ाई कर रहे थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। आगे बताया गया कि पीड़िता पर विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का कोई आरोप नहीं है बल्कि प्रस्ताव और आश्वासन वास्तविक थे और दोनों के बीच संबंध आरोपी आवेदक के किसी भी कपटपूर्ण कृत्य के कारण नहीं थे। धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता का बयान असंगत है। पीड़िता एक अधिवक्ता है, जो अपने कृत्य के परिणामों से अवगत थी और दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक बिना किसी कपट के यौन संबंध को सहमतिपूर्ण संबंध माना जा सकता है। आगे बताया गया कि पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करने से पहले

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आवेदक से 10 लाख रुपये मांगे थे और राशि नहीं दी गई तो बाद में झूठी और निराधार एफआईआर दर्ज की गई। विद्वान अधिवक्ता ने महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2024) 11 एससीसी 398 में रिपोर्ट किया गया; प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 एससीसी 608 में रिपोर्ट किया गया; प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य (2025) 5 एससीसी 764 में रिपोर्ट किया गया, के मामलों पर भरोसा किया है।

4. विद्वान एजीए और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का है, जहां आरोपी आवेदक संख्या 1 ने वर्ष 2021 से लगातार विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाए हैं। पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयान में आरोपी आवेदक संख्या 1 के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं, उसकी पुष्टि अन्य गवाहों ने भी की है, जो पीड़ित के निवास स्थान के आस-पास ही रहते थे। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक संख्या 1 ने उनके संबंधों की शुरुआत से ही विवाह का झूठा वादा किया था और विवाह के झूठे वादे की आड़ में पीड़ित को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, और अंत में उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक संख्या 1 पुलिस में है और अपनी वर्दी की आड़ में उसने लगातार पीड़ित को धमकी दी है। आवेदक संख्या 2 और 3 ने भी धमकी देना जारी रखा है। इस कारण पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा सकी। आगे यह भी कहा गया है कि आरोपी आवेदक द्वारा उद्धृत मामले भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध हैं जबकि बीएनएस की धारा 69 के तहत नया प्रावधान यौन संबंध के अपराध के लिए है जो बलात्कार नहीं है लेकिन दंडनीय है। इसलिए निवेदन है कि आवेदन में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आरोपी आवेदक संख्या 1 ने पीड़िता के साथ विवाह का झूठा वादा करके और धोखाधड़ी करके यौन संबंध बनाए, जिस पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है या अभिलेखों पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया सामग्री से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदकों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और मुकदमे की कार्यवाही न्याय का उल्लंघन होगी।

7. दिनांक 06.02.2025 को विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा पुलिस स्टेशन- गांधी पार्क, जिला अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो दोपहर 2:00 बजे अपराध वाद संख्या 55/2025 में 01.09.2021 से 16.01.2025 के बीच घटी घटनाओं के लिए पंजीकृत की गई थी, जिसमें विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध, जबरन गर्भपात और आपराधिक धमकी के अपराध शामिल हैं जिसमें आरोप है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 अलीगढ़ की निवासी है और वर्ष 2015-16 में बीएससी की छात्रा थी, जहां आरोपी आवेदक संख्या 1 भी पढ़ाई कर रहा था, दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आए, प्रेम संबंध स्थापित किया और शादी का वादा किया। यह रिश्ता लगातार चलता रहा। वर्ष 2019-20 में आवेदक संख्या 1 को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई। वर्ष 2021 में वह अलीगढ़ में पीड़िता से मिलने आया और शादी का आश्वासन दिया। फिर शादी के झूठे वादे पर उसने सितंबर 2021 में पहली बार पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए। जब भी पीड़िता आवेदक संख्या 1 से शादी के बारे में पूछती वह किसी न किसी बहाने से टाल देता लेकिन लगातार यौन संबंध बनाता रहा। जुलाई 2024 में वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने आरोपी से शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन उसने उसे 2025 तक इंतजार करने के लिए कहा और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती गर्भपात की गोलियां खिला दीं। 26.11.2024 को आवेदक संख्या 1 उसके कमरे में आया, दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वहां रहा और यौन संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता को आरोपी आवेदक संख्या 1 से एक संदेश मिला कि आवेदक संख्या 2 और 3 उससे बात करने वाले हैं, चूंकि रात का काफी समय हो चुका था इसलिए उसने उनसे सुबह बात करने को कहा लेकिन बाद में आवेदक संख्या 1

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

ने बताया कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। 16.01.2025 को पीड़िता ने आरोपी आवेदक संख्या 1 के मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजा कि या तो वह उससे विवाह करे अन्यथा वह कानूनी सहायता ले सकती है, इस पर आवेदक संख्या 2 और 3 ने 16.01.2025 को रात 8:54 बजे उसके मोबाइल पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी।

8. एफआईआर की सामग्री के संक्षिप्त अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:-

- 8.1 आरोपी आवेदक संख्या 1 और पीड़िता 2015-16 से कॉलेज के दोस्त थे;
- 8.2 कॉलेज के समय से ही उनके बीच प्रेम संबंध थे;
- 8.3 दोनों के बीच शादी का वादा हुआ था।
- 8.4 वर्ष 2019-20 में आवेदक संख्या 1 को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई;
- 8.5 आवेदक संख्या 1 ने वर्ष 2021 में पीड़िता को विवाह का आश्वासन दिया है;
- 8.6 आवेदक संख्या 1 और पीड़िता के बीच पहली बार यौन संबंध सितंबर 2021 में हुआ था। एफआईआर में आरोप है कि विवाह के झूठे वादे के चलते यौन संबंध जारी रहा;
- 8.7 दोनों के बीच यह यौन संबंध सितंबर 2021 से 26.11.2024 तक जारी रहा;
- 8.8 जुलाई 2024 में पीड़िता गर्भवती हो गई और उसे जबरन गर्भपात की गोलियां दी गईं। जांच के दौरान जांच अधिकारी को इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला और इसलिए धारा 89 बीएनएस के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है;
- 8.9 26.11.2024 को, आरोपी आवेदक संख्या 1 पीड़िता के कमरे में आया, दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वहां रहा और उनके बीच यौन संबंध हुआ;
- 8.10 26.11.2024 को उसे आवेदक संख्या 1 से एक संदेश मिला कि उसके भाई और भाभी उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन रात का अजीब समय होने के कारण वह जवाब नहीं दे सकी और उसने अगली सुबह उससे बात करने को कहा;
- 8.11 पीड़िता ने कॉल रिसीव नहीं किया और शाम को आवेदक संख्या 1 ने उसे सूचित किया कि विवाह अस्वीकार कर दिया गया है;
- 8.12 16.01.2025 को पीड़िता ने आवेदक संख्या 1 के मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजा जिसमें या तो उससे विवाह करने अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया;
- 8.13 16.01.2025 को रात 8:54 बजे आवेदक संख्या 2 और 3 का पीड़िता से संवाद हुआ जिसमें उन्होंने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी।

9. पीड़िता ने धारा 180 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में कहा है कि वह 28 वर्ष की है, एलएलबी की पढ़ाई की है और अधिवक्ता है, जिला बुलंदशहर की निवासी है और जिला अलीगढ़ में रह रही है। उसने एफआईआर में लगाए गए आरोपों को दोहराया है। गर्भपात के बारे में पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर में वह न तो गोलियों का नाम बता सकी और न ही गर्भपात से संबंधित चिकित्सा के कागजात दे सकी।

10. धारा 183 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में पीड़िता ने वही दोहराया है जो उसने अपनी दर्ज एफआईआर और धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज बयान में कहा है, लेकिन पहली बार उसने खुलासा किया है कि 31.01.2020 को वह आरोपी आवेदक संख्या 1 की बहन की शादी में शामिल हुई थी और अगले दिन आरोपी आवेदक संख्या 1 ने उससे पूछा कि उसने परिवार के सदस्यों को क्या बताया है जिससे उसके परिवार में समस्या पैदा हुई है, जिस पर उसने कहा कि अगर वह अपने परिवार में उनके

रिश्तों के बारे में खुलासा करने में सहज नहीं है तो वह भी खुलासा नहीं करेगी। एक अन्य घटना जिसका खुलासा न तो एफआईआर में किया गया है और न ही धारा 180 बीएनएसएस के तहत उसके बयान में जोकि आरोपी आवेदक संख्या 1 का पीड़िता के साथ वीडियो कॉल के दौरान उसके नग्न वीडियो की रिकॉर्डिंग के बारे में है और जब उसने 29.11.2024 को अपना फोन चेक किया तो वे तस्वीरें और वीडियो डिलीट किए हुए पाए गए।

11. उपर्युक्त तथ्यों, जोकि एफआईआर और भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से स्पष्ट होता है को कानूनी कसौटी पर परखे जाने की आवश्यकता है।

12. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 में प्रावधान है कि “जो कोई भी छलपूर्वक या किसी स्त्री से विवाह का वादा करके उसे पूरा करने के इरादे के बिना, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दस वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

13. भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में निहित प्रावधान दंड संहिता में एक नया प्रावधान है, जिसमें किसी स्त्री के साथ छलपूर्वक जिसमें विवाह का झूठा वादा भी शामिल है, यौन संबंध बनाना 'बलात्कार' नहीं है, लेकिन इसे दंडनीय बनाया गया है। अधिनियम लागू होने से पहले, न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) और धारा 90 (भय या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति) के प्रावधानों के आलोक में पक्षों के आचरण की व्याख्या करते थे। धारा 69 बीएनएस के तहत 'धोखाधड़ी के साधनों' की व्याख्या में "रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन देना या पहचान छिपाकर विवाह करना" शामिल है।

14. यदि, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 के पुराने और नए प्रावधानों पर विचार किया जाए। दोनों प्रावधानों में विवाह के झूठे वादे को पीड़िता की सहमति प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का साधन माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद सूर्यभान पवार (उपरोक्त) मामले में शुरुआत में ही किए गए वादे को दुर्भावनापूर्ण और सद्भावना से किए गए लेकिन पूरे न किए गए वादे के बीच स्पष्ट अंतर किया है। निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 18 को नीचे दोहराया गया है:-

“18. उपरोक्त मामलों से उभरने वाली कानूनी स्थिति का सारांश यह है कि धारा 375 के संबंध में किसी महिला की “सहमति” में प्रस्तावित कृत्य के प्रति सक्रिय और तर्कसंगत विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए। यह स्थापित करने के लिए कि क्या विवाह के वादे से उत्पन्न “तथ्य की गलतफहमी” के कारण “सहमति” दूषित थी, दो प्रस्ताव स्थापित किए जाने चाहिए। विवाह का वादा झूठा वादा होना चाहिए, दुर्भावना से दिया गया हो और उस समय इसका पालन करने का कोई इरादा न हो। झूठा वादा स्वयं तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए या महिला के यौन कृत्य में संलग्न होने के निर्णय से सीधा संबंध रखना चाहिए।”

15. धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज एफआईआर और पीड़िता के बयान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी आवेदक संख्या 1 और पीड़िता वर्ष 2015-16 से प्रेम संबंध में थे, जब दोनों स्नातक विज्ञान के छात्र थे। दोनों पक्षों के बीच विवाह का पारस्परिक वादा था और यहां तक कि आरोपी आवेदक संख्या 1 द्वारा नौकरी मिलने के बाद पीड़िता से विवाह करने का आश्वासन भी उसकी सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। अतः, उपरोक्त सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि विवाह का वादा वास्तविक था।

16. पीड़ित का यह भी मामला नहीं है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई थी या वह पहले से ही कहीं और संलग्न था और विवाह का वादा शुरू से ही झूठा था।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह टिप्पणी की है कि यदि दो सक्षम दिमाग वाले वयस्क लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति से यौन संबंध बनाने का चुनाव किया है और बाद में विवाह के वादे को पूरा न करना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा। यह सादृश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य (2025) एससीसी ऑनलाइन एससी 1055 (पैराग्राफ 14 और 15)) में रिपोर्ट किया गया और प्रशांत बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य (2025) 5 एससीसी 764 (पैराग्राफ संख्या 20)) में रिपोर्ट किया गया, के निर्णयों से लिया गया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेश दामू खरे (उपरोक्त) के मामले में अनुच्छेद संख्या 28 में इस विषय पर विचार करते हुए कहा गया है कि विवाह के झूठे वादे पर बिना किसी विरोध के वर्षों तक जारी रहे शारीरिक संबंध आपराधिक दोष के प्रभाव को कम कर देते हैं। संबंधित अनुच्छेद को नीचे दोहराया गया है:-

“28. इसके अलावा, यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलकर्ता ने शुरू में शिकायतकर्ता से विवाह का झूठा वादा किया था, भले ही इस संबंध में हमारे समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया हो तो भी नौ वर्षों तक संबंध जारी रहने से शिकायतकर्ता का यह दावा कि इन सभी वर्षों तक उसकी सहमति इस गलतफहमी में थी कि अपीलकर्ता उससे विवाह करेगा, अविश्वसनीय हो जाता है। परिणामस्वरूप, इतने लंबे समय के बाद और इस तथ्य के आलोक में कि शिकायतकर्ता ने इन सभी वर्षों के दौरान कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, ऐसे झूठे वादे से जुड़ी आपराधिक जिम्मेदारी कम हो जाती है। महिला साथी द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के शारीरिक संबंध का इतने लंबे समय तक जारी रखना वास्तव में आपराधिक दोष के प्रभाव को कम कर देता है और उसे निष्प्रभावी बना देता है।”

19. अतः कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं, अभिलेखों पर मौजूद सामग्री, विशेष रूप से एफआईआर में लगाए गए आरोपों और धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के बयान को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी आवेदक संख्या 1 द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है जिस पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता हो, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। जहां तक आरोपी आवेदक संख्या 2 एवं 3 के मुकदमे का संबंध है उनके लिए पीड़ित के बयान और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अलावा कोई अन्य सामग्री अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

20. अतः, धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप, अलीगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 द्वारा दिनांक 30.03.2025 के आरोपपत्र के संज्ञान में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 आपराधिक मामला संख्या 419/2025 (राज्य बनाम जितेंद्र कुमार और अन्य) जोकि बीएनएस की धारा 69 और 351(2) गांधी पार्क पुलिस स्टेशन, जिला अलीगढ़ में दर्ज के तहत मामला संख्या 55/2025 से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को, रद्द किया जाता है।

(अवनीश सक्सैना, जे.)

दिनांक:-29.01.2026

शरद/-

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”